

स्पेशल टार्स्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |

प्रेस नोट संख्या: 37, दिनांक 23-01-2025

अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप एवं डिजिटल अरेस्ट द्वारा धोखाधड़ी एवं अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 22-01-2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लोनिंग ऐप एवं डिजिटल अरेस्ट द्वारा व अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— नवरत्न सिंह खुराल उर्फ रोबी पुत्र स्व0 रघुबीर सिंह खुराल निवासी प्लाट नं0 13, टीपी-13, शुभ टेनामेन्ट थाना फतेहगंज, जनपद बड़ोदरा, गुजरात।
- 2— तनवीर पुत्र गुलतार अली निवासी ग्राम परतापुर, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर।
- 3— शाकिब शेख पुत्र शेख अहमद निवासी ग्राम चोपडा, थाना जलगांव, जनपद जलगांव, महाराष्ट्र। हाल पता गोसिया मस्जिद के पास, शाहीन बाग, दिल्ली।

बरामदगी-

- 1— 01 अदद लैपटाप
- 2— 08 अदद मोबाइल फोन
- 3— 01 अदद पासपोर्ट
- 4— 05 अदद आधार कार्ड
- 5— 04 अदद मोबाइल सिम कार्ड (जो बैंक एकाउन्ट में रजिस्टर्ड है)
- 6— 05 अदद चैकबुक
- 7— 22 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड
- 8— 150 रुपया नगद भारतीय करेन्सी
- 9— 80 रुपया नेपाली करेन्सी तथा अन्य दस्तावेज।

गिरफ्तारी का स्थान / दिनांक:-

कार्यालय एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 22-01-2025 समय 21.30 बजे।

विगत काफी दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश को अपराधियों द्वारा चीनी नागरिकों को धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से भारतीय लोगों के बैंक खाते उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, नोएडा एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी/उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को दिनांक 22-01-2025 को मुख्यिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर विदेशी/चीनी नागरिकों को गेमिंग, ट्रेडिंग, लूपिंग ऐप द्वारा धोखाधड़ी एवं अन्य अवैध गतिविधियों हेतु भारतीय नागरिकों के बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सदस्य थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले घण्टा गोल चक्कर के पास आने वाले हैं।

तदोपरान्त सूचना को विकसित करने के उपरान्त नोएडा की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घण्टा गोल चक्कर के पास से तीन व्यक्ति उपरोक्त को दिनांक 22-01-2025 को पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय नोएडा लाया गया। तीनों व्यक्तियों से गहनता से जानकारी की गयी तो सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को समय लगभग 21.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 40 साल है और उसने बी0टेक /सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है। बताया कि उसने वर्ष 2016-17 में एक प्राइवेट कम्पनी में जॉब किया था, उसके बाद अपनी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी खोलकर सामुदायिक शौचालय बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया था। इसके बाद अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल फेसबुक पर यू0एस0डी0टी0 सम्बन्धित विज्ञापन देखकर उनमें रुचि लेने लगा और इसी दौरान उसकी मुलाकात टेलीग्राम ऐप के माध्यम से डी0के0के0, मैगी, हू जियांग, के0टी0एम0 नामक चायनीज व्यक्ति से होने लगी। इनके बाद इनमें बातचीत होना प्रारम्भ हो गयी और चायनीज व्यक्तियों ने उसको भारतीय नागरिकों से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में बताया। तभी से वह भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है।

पूछताछ में उसने बताया कि ये चाईनीज नागरिक नेपाल में रहकर अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। जानकारी करने पर विदित हुआ है कि अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल का एक दोस्त सिद्धार्थ है, जो लखनऊ में रहता है और सिद्धार्थ के माध्यम से ही अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल सिंह की मुलाकात अभियुक्त तनवीर से हुई थी। इसके अलावा अभियुक्त शाकिब की मुलाकात अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल से चीनी नागरिक द्वारा टेलीग्राम ऐप पर कराई गयी थी।

उल्लेखनीय है कि ठगी के इस कार्य के लिए चायनीज व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों के बैक खातों की आवश्यकता होती है, जिनमें धोखाधड़ी से प्राप्त किये गये धन को ट्रान्सफर किया जाता है। गिरफ्तार किये गये तीनों व्यक्तियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में Fema व अन्य वित्तीय नियमों से बचने के लिए यह लोग USDT क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हवाला के जरिये भारतीय सुरक्षा एजेन्सियों की नजरों से बच कर धन का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रक्रिया में अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल को अभियुक्त तनवीर और शाकिब द्वारा भारतीय नागरिकों के बैक खाते एवं उनकी समस्त जानकारी (जैसे खाते की चैक बुक, पैनकार्ड, ए0टी0एम0 कार्ड, आधार कार्ड एवं खाते में दर्ज कराये गये मोबाइल नम्बर आदि) उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनको अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल, चीनी नागरिकों को भेज देता है, जो नेपाल और थाईलैण्ड में बैठकर भारतीय नागरिकों से फ्रॉड करके धन की प्राप्ति करते हैं। इस कार्य के लिए चीनी नागरिकों से अभियुक्तगणों को अच्छा कमीशन प्राप्त होता है। संयुक्त रूप से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन अभियुक्तगणों का जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों में भी नेटवर्क है, जहाँ से ये विभिन्न श्रोतों से भारी संख्या में MULE एकाउन्ट प्राप्त करके सीमापार बैठे चीनी नागरिकों को पैसे के बदले में उपलब्ध करा रहे थे। इस सम्बन्ध में और अधिक छानबीन की जा रही है। अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उसने माह सितम्बर वर्ष 2024 में गुरुग्राम हरियाणा में एक महिला को डिजीटल अरेस्ट कर पोने 6 करोड़ रुपये की ठगी की थी। इस सम्बन्ध में थाना साईबर काइम ईस्ट गुरुग्राम हरियाणा में मु0अ0स0 251/24 धारा 318, 204, 61/2, 3/5 बी0एन0एस0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत है और इस अभियोग में अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल वांछित चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नवरत्न सिंह खुराल के विरुद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है—

क्र0सं	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद / राज्य
1	251/24	318, 204, 61/2, 3/5 बी0एन0एस0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	साईबर काइम ईस्ट गुरुग्राम	हरियाणा
2	53/2025	318(4), 338, 336(3), 340(2), बी0एन0एस0 एवं 14 विदेशी अधिनियम तथा 66 डी आई0टी0 एक्ट	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 53/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), बी0एन0एस0 एवं 14 विदेशी अधिनियम तथा 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।